न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर 2, कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

उपस्थित–लाल मणि, एच०जे०एस०

फौजदारी अपील संख्या–02/2018

धनेश कुशवाहा पुत्र रामविलास बउम्र 16 साल,
साकिन–रामपुर बरहन टोला मडुवाडीह, थाना–बरवापट्टी, जिला–कुशीनगर द्वारा संरक्षिका बहन खुद सिलवन्ती देवी पत्नी देवेन्द्र पुत्री रामबेलास, ग्राम जंगल लाला छपरा, थाना–कुबेरस्थान, जिला–कुशीनगर ।

---अपीलाण्ट

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार,

2– दुर्गावती देवी पत्नी मृतक स्व० ढ़ोढ़ा पुत्र विक्रम(वादी मुकदमा)
साकिन–रामपुर बरहन टोला मडुवाडीह, थाना–बरवापट्टी, जिला–कुशीनगर।

----विपक्षीगण

निर्णय

प्रस्तुत आपराधिक अपील, अपीलार्थी–**धनेश कुशवाहा** बाल अपचारी की तरफ से मुकदमा अपराध नम्बर–**63/2017**, धारा–**147, 148, 323, 324, 504, 304** भारतीय दण्ड संहिता, थाना–बरवापट्टी, जिला–कुशीनगर में किशोर न्याय बोर्ड, जिला–कुशीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित **03.01.2018**, जिसमें अपीलार्थी का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया है, के विरूद्व योजित की गयी है।

संक्षेप मे अपील का आधार एवं कथन इस प्रकार है कि अपीलार्थी को स्थानीय पुलिस द्वारा साजिशन झूठा फंसा दिया गया है, वह पूर्णतया निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे राजनीतिक द्वेषवश अभियुक्त बना दिया गया है। उसका एवं उसके परिवार का कोई सम्बन्ध अवांछनीय व्यक्तियों से नही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। किशोर न्याय बोर्ड, जिला–कुशीनगर द्वारा गलत तरीके से विश्लेषित करते हुये अपनी रिपोर्ट दी गयी है। अतः किशोर न्याय बोर्ड का प्रश्नगत आदेश दिनांकित **03.01.2018**, निरस्त कर अपील स्वीकार किए जाने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि बाल अपचारी की जमानत के विचारण के समय तक अपराध की गम्भीरता एक विचारणीय प्रश्न नही होती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट सकारात्मक है। अतः अपील स्वीकार की जाय।

उक्त का विरोध विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा किया गया तथा कहा गया कि बाल अपचारी के विरूद्व उपरोक्त वर्णित आरोप है तथा अपीलार्थी पर वादी मुकदमा एवं उसके परिजन को गाली–गुप्ता देते उसे एवं उसकी भाभी को धारदार हथियार से वार करने एंव मारने–पीटने तथा अपीलार्थी के उक्त कृत्य से वादी मुकदमा की दौरान इलाज मृत्यु होने, जैसा गम्भीर आरोप है। उसके द्वारा कथित घटना कारित की गयी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाय।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध किशोर न्याय बोर्ड, जिला–कुशीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित–0**3.01.2018** का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी का अवलोकन करते हुये मात्र केस डायरी में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध जिला संरक्षण अधिकारी, कुशीनगर की रिपोर्ट पर कोई मत स्पष्ट नहीं किया गया है। उक्त रिपोर्ट में जिला संरक्षण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को स्वस्थ तथा उसकी सामाजिक स्थिति 'ठीक' एवं आर्थिक दशा 'सामान्य' तथा पड़ोसीगण से अच्छे सम्बन्ध होना तथा अपचारी को पूर्व माध्यमिक विद्यालय मड़ुआडीह, कुशीनगर से कक्षा–05 उत्तीर्ण किया जाना अंकित किया गया है। अपचारी के पिता रामवेलास द्वारा राजगीर मिस्त्री का कार्य करके परिवार का भरण–पोषण किया जाना अंकित है तथा यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को उचित देखरेख की आवश्यकता है तथा किशोर अपचारी के अपने माता–पिता के कथनानुसार किशोर अपचारी सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करता है तथा अपचारी को निर्मुक्त किये जाने पर न्याय के उद्देश्य को विफल होने की सम्भावना प्रतीत नही होती है। परिवार का कोई भी आपराधिक इतिहास एवं पृष्ठभूमि नहीं बतायी गयी है।

अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित **03.01.2018** में केस डायरी का अवलोकन करते हुये उल्लेखित किया गया है कि तथाकथित घटना में वादी मुकदमा एवं उसके परिजन को गाली–गुप्ता देते उसे एवं उसकी भाभी को धारदार हथियार से वार करने एंव मारने–पीटने तथा अपीलार्थी के उक्त कृत्य से वादी मुकदमा की दौरान इलाज मृत्यु होने जैसा, गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अवर न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार न पाकर अपीलार्थी का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया गया है तथा आदेश पारित किया गया है कि अपचारी के परिवेश की स्थितियां सकारात्मक नहीं नकारात्मक है। उसको जमानत पर रिहा किये जाने की स्थिति में न्याय का उद्देश्य विफल होने तथा बाल अपचारी को कुसंगति में पड़ने की सम्भावना व्यक्त की गयी है।

जहां तक बाल अपचारी के परिवेश की नकारात्मक परिस्थितियों का प्रश्न है, जिला संरक्षण अधिकारी द्वारा अपचारी का, उसके पड़ोसीगण से अच्छे सम्बन्ध होना अंकित किया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास न होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध जिला संरक्षण अधिकारी, कुशीनगर तथा केस डायरी, पुलिस रिपोर्ट, आदि प्रपत्रों में कहीं भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि, जिस क्षेत्र का अपचारी निवासी है, उस क्षेत्र का कोई ज्ञात या अज्ञात अपराधी है, जिससे अपचारी या उसके परिजन या उसके पड़ोसियों से किसी प्रकार का कोई संसर्ग हो तथा जिला संरक्षण अधिकारी, कुशीनगर द्वारा अपीलार्थी को उचित देखरेख की आवश्यकता है तथा उसको अपने माता–पिता द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करने वाला अंकित गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा '**आशू कुमार नाबालिग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2015 (6), ALJ**, 238,' में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि '**जब नाबालिग के माता–पिता स्वेच्छया अपनी अभिरक्षा में लेकर उसके मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सुधार के लिये तैयार हों तो**

अपराध की गम्भीरता के आधार पर बाल अपचारी का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है।' जिला प्रोबशन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपचारी को किसी ज्ञात अपराधी के संगति में आने का उल्लेख नहीं किया गया है। जहां तक न्याय का उद्देश्य विफल होने का प्रश्न है, जबकि अपीलार्थी को अपने माता–पिता की आज्ञा के बिना घर से बाहर न जाने वाला बताया गया है तथा उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि अपचारी को निर्मुक्त किये जाने पर न्याय के उद्देश्य को विफल होने की सम्भावना प्रतीत नही होती है। न्याय का मुख्य उद्देश्य नाबालिग को सुधरने तथा मानसिक, नैतिक, शारीरिक विकास का अवसर प्रदान किया जाना है। न्यायालय के मत में अपचारी को जमानत पर छोड़े जाने से किसी प्रकार से न्याय के उद्देश्य की विफलता नहीं कही जा सकती है। अतः किशोर न्याय बोर्ड का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 03.01.2018 बाबत जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निरस्त कर, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है। किशोर न्याय बोर्ड, कुशीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित **03.01.2018** अपास्त किया जाता है। किशोर न्याय बोर्ड, कुशीनगर को आदेशित किया जाता है कि वह बाल अपचारी–धनेश कुशवाहा को उसकी बहन सिलवन्ती देवी की सुपुर्दगी में उसके द्वारा मु०–50,000/रू० (पचास हजार रूपये) की दो जमानतें एवं इतने ही धनराशि के निजी बन्ध पत्र, इस आशय का अण्डरटेकिंग देने पर कि, वह बाल अपचारी को उचित संरक्षण एवं परिवेश में रखेगी, उसे किसी गलत संगति में नही पडने देगी, उसकी उचित शिक्षा का प्रबन्ध करेगी, जमानत पर छोडा जाय। अपीलार्थी द्वारा उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर किशोर न्याय बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह बाल अपचारी–**धनेश कुशवाहा** की जमानत विधिनुसार खारिज कर दे।

दिनांक 12–03–2018

(लाल मणि)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–2
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एंव दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 12–03–2018

(लाल मणि)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–2
कुशीनगर, स्थान–पडरौना ।